<u>न्यायालय:–अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.**
(U.I.D. No.RJ00720)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्याः– 204/2012

सी.आई.एस. संख्याः– 257/2014

01. मंगतराम पुत्र कृष्णलाल, निवासी 63 जी.बी. अनूपगढ़, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.) **––वादी**

– बनाम –

01. रामप्रताप उर्फ प्रताप पुत्र रामचन्द्र, निवासी 63 जी बी, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
02. रामश्री पत्नी मोहनलाल, निवासी 1–ए (ए), तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
03. वेदप्रकाश पुत्र मोहनलाल, निवासी 1–ए (ए), तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राज.)
04. लालचंद पुत्र मोहनलाल , निवासी 1–ए (ए), तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)
05. कृष्णा पत्नी राजकुमार पुत्री मोहनलाल, निवासी ढींगावाली, तहसील अबोहर, जिला–फाजिल्का(पंजाब)
06. विधा पत्नी प्रेमकुमार पुत्री मोहनलाल, निवासी ढींगावाली, तहसील अबोहर जिला–फाजिल्का(पंजाब)
07. उप पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) अनूपगढ, तहसील अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर(राज.)

––प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत विनिर्दिष्ट अनुपालना इकरारनामा दिनांक 03.05.2003</u>

उपस्थितः–

01. श्री इन्द्राज कस्वां, अधिवक्ता–वादी
02. श्री हंसराज डाल, अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या–01
03. श्री एच एस सेखों, अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 02 ता 06
04. श्री चन्द्रवीर सिंह, राजकीय अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या–07

–:: निर्णय ::–

दिनांक–**22.05.2026**

01. वादी मंगतराम की ओर से जरिए अधिवक्ता यह वाद पत्र बाबत इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाये जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जारी किये जाने विरूद्ध प्रतिवादी रामप्रताप उर्फ प्रताप आदि के इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2012 को पेश किया गया, जो नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

मोहनलाल, बलवंत पुत्र रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तहसील अनूपगढ के चक 1 ए (ए) का मु.नं. 251/467 का किला नंबर 1 ता 25 बीघा नहरी भूमि थी । (उक्त भूमि वर्तमान में मु.नं. 21 प.नं. 251/467 में पैमुद है)। मोहनलाल, बलवंत व प्रतिवादी संख्या 1 को रूपयों की आवश्यकता होने से चक 1ए (ए) के मु.नं. 251/467 के किला नं. 2 ता 5 कुल 4 बीघा कृषि भूमि (जिसे आगे वादग्रस्त भूमि कहा जायेगा) के विक्रय करने का प्रस्ताव वादी के समक्ष रखा जिसे वादी ने स्वीकार किया जिस पर मोहनलाल, बलवंत व प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि का सौदा कुल 2,40,000/–रूपये में वादी के साथ तय कर रोबरू गवाहान समस्त विक्रय राशि 2,40,000/–रूपये वादी से प्राप्त कर उसी रोज दिनांक 03.05.2003 को इकरारनामा वादी के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वादी के सुपुर्द किया एवं इकरारनामा के रोज ही वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सौंप दिया, तब से निरन्तर वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। इकरारनामा में दोनों पक्षों के मध्य यह शर्त तय पाई गई कि बकाया किश्ते , बैंक ऋण, आदि विक्रेतागण अदा करेंगे एवं खातेदारी विक्रेतागण लायेंगे आदि आदि....। विस्तृत शर्तें इकरारनामा में वर्णित है जो संलग्न वाद पत्र है।

03. वादी इकरारनामा की पालना में बैयनामा करवाने के लिये हमेशा तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है, आज भी तैयार, तत्पर व इच्छुक है। वादी ने मोहनलाल, बलवंत एवं प्रतिवादी संख्या 1 से कई बार मिलकर इकरारनामा की पालना में वादी के पक्ष में बैयनामा करवाने का कहा गया तो मोहनलाल, बलवंत व प्रतिवादी संख्या 1 शीघ्र ही खातेदारी सनद प्राप्त कर वादी के पक्ष में बैयनामा करवाने का कहते रहे तथा आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे एवं इस प्रकार सद्भाविक रूप से समय व्यतीत होता रहा।

इसी दौरान मोहनलाल का वर्ष 2007 में देहान्त हो गया। मोहनलाल के देहान्त पश्चात वादी ने बलवंत व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से भी कई बार मिलकर आवश्यक कागजात तैयार कर वादी के पक्ष में बैयनामा करवाने का कहा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि वे खातेदारी सनद प्रापत कर आवश्यक कार्यवाही कर आपके पक्ष में बैयनामा करवा देंगे तथा सद्भाविक रूप से समय व्यतीत होता रहा।

04. मोहनलाल का वर्ष 2007 में देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 मोहनलाल के विधिक वारिस हैं। आज से 7 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से मिलकर इकरारनामा की पालना में आवश्यक कागजात हासिल कर वादी के पक्ष में बैयनामा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने इकरारनामा की पालना में बैयनामा करवाने हेतु प्रतिफल राशि के अलावा पांच लाख रूपये की मांग की, इस पर वादी द्वारा असमर्थता जाहिर की तो प्रतिवादीगण इकरारनामा की पालना में बैयनामा करवाने से स्पष्ट इंकार हो गये तथा वादी को धमकी दी कि वे अपनी उक्त भूमि औने पौने दामों में खुर्दबुर्द कर वादी को बेदखल कर देंगे, बस यही वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद कारण प्राप्त है। आज से सात रोज पूर्व वादी ने बलवंतराम से भी मिलकर इकरारनामा की पालना में वादी के पक्ष में बैयनामा करवाने का कहा तो बलवंत ने कहा कि वह अपने हिस्से की भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में करवाने को आज भी तैयार एवं इस संबंध में बलवंत ने दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्से की भूमि का एक नया इकरारनामा वादी के पक्ष में रोबरू गवाहान निष्पादित कर वादी को संभलाया।

05. वादी काश्तकार पेशा व्यक्ति है जिसने वादग्रस्त भूमि सद्भाविक रूप से पूर्ण प्रतिफल देकर खरीद की है तथा वादी को अब इन्ही दामों पर ऐसी भूमि आस पास के चकों में नहीं मिल सकती । बलवंत इकरारनामा की पालना में अपने हिस्सा की भूमि का बैयनामा वादी के पक्ष में करवाने का तैयार है इसलिये वादी मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा उनके हिस्से की 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 03.05.2003

के आधार पर शेष विक्रेतागण संख्या 2 ता 6 के पति/पिता मोहनलाल व प्रतिवादी संख्या 1 के हद तक ही विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद पेश किया जा रहा है। चूंकि कृषि भूमि के बाजार भावों में वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मन में बेईमानी आने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति को विक्रय कर खुर्दबुर्द करने एवं वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर उतारू है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने उक्त अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं आंका जा सकेगा इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

अंत में वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार, पूर्ण न्यायशुल्क पर और अंदर मियाद होना अभिकथित करते हुए वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाये जाने, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के असफल रहने पर न्यायालय के मार्फत बैयनामा निष्पादित व पंजीबद्व करवाये जाने, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने एवं खर्चा मुकदमा दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

06. उक्त वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालदावा प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि वादी को वाद पत्र के अंतिम पैरा में दर्ज अनुतोष प्रदत्त कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

> **नोट–**वादी मंगतराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप से लोक अदालत की भावना से राजीनामा होना कथित करते हुए प्रतिवादी सं0 1 रामप्रताप की हद तक वाद के परित्याग की अनुमति चाहने के आधार पर दिनांक 12.03.2026 को न्यायालय द्वारा वादी मंगतराम को प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप की हद तक वाद के परित्याग की अनुमति प्रदान की गई।

07. प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की ओर से जवाबदावा पेश कर अभिकथन किया गया कि प्रतिवादीगण के पिता/पति ने वाद में दर्ज कृषि भूमि में अपने हिस्सा की भूमि को

बेचने का प्रस्ताव वादी के समक्ष नहीं रखा , ना ही दिनांक 03.05.2003 को दस्तावेज इकरारनामा वादी के पक्ष में निष्पादित किया और ना ही विवादित भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया। वादी व उसके चाचा ने षड़यंत्रीय योजना के तहत तथाकथित इकरारनामा जमीन हड़पने के उद्वेश्य से फर्जी व कूटरचित तैयार किया है एवं इसके आधार पर वादी किसी प्रकार अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, ना ही प्रतिवादीगण इकरारनामा से बाध्य है।

08. अतिरिक्त कथन में अभिकथित किया गया कि इकरारनामा दिनांक 17.01.2001 अपंजीकृत व अपूर्ण स्टाम्प पर होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। तथाकथित इकरारनामा दिनांक 17.01.2001 गैर खातेदारी का होने के कारण गैरकानूनी है एवं विधि द्वारा प्रवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। वादी ने मोहनलाल की रिश्तेदारी व वैश्वासिक संबंधों का वेजा फायदा उठाकर आपराधिक षड़यंत्रीय योजना से तथाकथित इकरारनामा दिनांक 17.01.2001 एवं एक इकरारनामा अपने भतीते मंगतराम के पक्ष में दिनांक 03.05.2003 फर्जी एवं कूटरचित तैयार कर उस पर मोहनलाल के फर्जी हस्ताक्षर किये तथा उक्त फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा के आधार पर न्यायालय में वाद पेश किये हैं जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा वादी व अन्य के विरूद्ध अनूपगढ़ पुलिस थाना में आपराधिक अभियोग भी दर्ज करवाया गया है। वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है तथा वाद वादी मियाद बाहर होने के कारण काबिल निरस्ती के हैं। अंत में वादी का वाद मय हर्जा खर्चा के खारिज किये जाने का निवेदन किया।

09. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात की विरचना की गई–

> 01– आया प्रतिवादी सं0 1, प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत ने दिनांक 03.05.2003 को वादग्रस्त कृषि भूमि (वाद के पैरा सं. 3 में वर्णित) कुल 2,40,000/–रूपये में वादी को विक्रय करना तय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि रूबरू गवाहान वादी से प्राप्त कर वादी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द किया ?
>
> ––वादी

02– आया बलवंत ने इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्सा की भूमि का दिनांक 24.08.2012 को एक नया इकरारनामा निष्पादित कर वादी के सुपुर्द किया ?

––वादी

03– आया वादी विक्रय इकरार की पालना हेतु सदैव तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है ?

––वादी

04– आया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 वादग्रस्त कृषि भूमि किसी अन्य को अंतरित, हस्तान्तरित नहीं करें एवं वादी के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ऐसी वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

––वादी

05– आया वादी का वाद मियाद बाहर होने से काबिल खारिजी है ?

––प्रतिवादी सं. 2 ता 6

06– सहायता ?

10. वादी की ओर से अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई हैः–

मौखिक साक्ष्यः–

क्र.सं.	गवाह का नाम
01.	पी.डब्ल्यू.–01 – मंगतराम (वादी)
02.	पी.डब्ल्यू.–02 – करनीराम
03.	पी.डब्ल्यू.–03 – रामगोपाल
04.	पी.डब्लयू.–04 – तुलसीराम सिंधी
05.	पी.डब्लयू.–05 – रवि कुमार
06.	पी.डब्लयू.–06 – बलवंत

दस्तावेजी साक्ष्यः–

क्र.सं.	प्रदर्श मार्क संख्या	दस्तावेज विवरण
01.	प्रदर्श–01	इकरारनामा, प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1ए
02.	प्रदर्श–02	इकरारनामा दिनांक 24.08.2012, चित्रपति प्रदर्श 2ए
03.	प्रदर्श–03	जमाबंदी

04.	प्रदर्श–04	इकरारनामा (सहमति पत्र) दिनांकित 08.11.2012

11. प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा के समर्थन में निम्नलिखित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गईः–

मौखिक साक्ष्यः–

क्र.सं.	गवाह का नाम
01.	डी.डब्ल्यू.–01 – लालचंद (प्रतिवादी सं0 4)
02.	डी.डब्ल्यू.–02 – रामश्री (प्रतिवादी सं0 2)
03.	डी.डब्ल्यू.–03 – रामप्रताप उर्फ प्रताप (प्रतिवादी सं0 1)

दस्तावेजी साक्ष्यः–

क्र.सं.	प्रदर्श मार्क संख्या	दस्तावेज विवरण
01.	प्रदर्श– ए 1 ता ए 6	सिंचाई पानी की पर्ची
02.	प्रदर्श–ए 7 ता ए 11	सिंचाई कर रसीद

12. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए गएः–

01. S.B. Civil First Appeal No.72/1987, Mst. Radha Bai Vs. Nachhatar Singh

02. 1995(2) CCC 403 (S.C.) Khagendra Lall Dutta & Anr. Vs. Jacob Sole Jacob

13. दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जवाब दावा में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए वादी का वाद पत्र मय हर्जा –खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

14. दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद में विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

---

15. उभय पक्षों के कथनों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात वाद में विरचित विवाद्यकों पर इस न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्याः–01

01. आया प्रतिवादी सं0 1, प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत ने दिनांक 03.05.2003 को वादग्रस्त कृषि भूमि (वाद के पैरा सं. 3 में वर्णित) कुल 2,40,000/–रूपये में वादी को विक्रय करना तय कर सम्पूर्ण प्रतिफल राशि रूबरू गवाहान वादी से प्राप्त कर वादी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित कर वादग्रस्त भूमि का कब्जा मौके पर वादी को सुपुर्द किया ? **––वादी**

16. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। इस सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का प्रमुख रूप से यह तर्क रहा है कि वादी ने अपनी साक्ष्य से बखुबी साबित किया गया है कि मोहनलाल, बलवंत व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि का सौदा वादी के साथ कुल 2,40,000/– रूपये में तय कर, समस्त सौदा राशि नक़द रूबरू गवाहान वादी से प्राप्त कर इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 वादी के पक्ष में निष्पादित कर, इकरारनामा एवं वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द किया। तत्पश्चात बलवंत ने इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्सा की भूमि का दिनांक 24.08.2012 को एक नया इकरारनामा निष्पादित कर वादी के सुपुर्द किया। वादी ने इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 के निष्पादन को अनुप्रमाणक साक्षी, इकरारनामा के स्टाम्प विक्रेता द्वारा पूर्णतया साबित किया गया है तथा इकरारनामा दिनांक 24.08.2012 के निष्पादन को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जवाबदावा एवं साक्ष्य में स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 द्वारा इकरारनामा के कूटरचित या फ़र्जी होने बाबत् कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया और ना ही इस बाबत् कोई एफएसएल जाँच आदि करवायी गई है। अंत में विवाद्यक संख्या 01 वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने का

निवेदन किया गया।

17. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि वादी अपनी साक्ष्य से इकरारनामा के निष्पादन को प्रमाणित नहीं कर पाया है। वादी ने इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 अपने चाचा के साथ मिलकर फर्जी व कूटरचित तैयार किया है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा आज भी प्रतिवादीगण के पास है। अंत में विवाद्यक संख्या 01 वादी के विरूद्व निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया।

18. उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दिये गए उक्त तर्कों के सम्बन्ध में अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो उपर्युक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में वादी की ओर से कुल 06 साक्षीगण परीक्षित हुए हैं। पी.डब्ल्यू. 01 मंगतराम स्वयं वादी है, जो अपने अभिवचनों की पुष्टि अपनी मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र में करते हुए मोहनलाल, बलवंत व प्रतिवादी रामप्रताप द्वारा वादग्रस्त भूमि 2,40,000/– रूपये में वादी को विक्रय करना तय कर समस्त सौदा राशि रूबरू गवाहान वादी से प्राप्त कर इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर कब्जा भूमि वादी को सुपुर्द करने , तत्पश्चात बलवंत द्वारा दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्से की भूमि का नया इकरारनामा दिनांक 24.08.2012 रूबरू गवाहान वादी के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वादी को सुपुर्द करने की साक्ष्य देता है तथा इकरारनामा प्रदर्श–01 को प्रदर्शित करवाता है।

19. गवाह पी.ड. 02 करनीराम वादग्रस्त भूमि का इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 मोहनलाल, बलवंत व रामप्रताप के द्वारा वादी के पक्ष में अपने समक्ष निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाने की साक्ष्य देता है तथा इकरारनामा प्रदर्श 1 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करता है।

20. गवाह पी.ड. 03 रामगोपाल वादग्रस्त भूमि का इकरारनामा दिनांक

03.05.2003 मोहनलाल, बलवंत व रामप्रताप के द्वारा वादी के पक्ष में अपने समक्ष निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाने की साक्ष्य देता है तथा इकरारनामा प्रदर्श 1 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन करता है।

21. गवाह पी.ड. 04 तुलसीराम सिंधी स्टाम्प विक्रेता के रूप में परीक्षित हुआ है, जो दिनांक 03.05.2003 को दो पचास–पचास रूपये, कुल सौ रूपये के स्टाम्प रामप्रताप, मोहनलाल व बलवंत के नाम विक्रय किये जाने की साक्ष्य देते हुए उस पर दर्ज क्रमांक और स्वयं के हस्ताक्षरों की पहचान करता है एवं स्टाम्प विक्रय का पृष्ठांकन कर क्रेता के अंगूठे निशान करवाने तथा स्वयं के मय मोहर हस्ताक्षर करने का कथन करता है।

22. गवाह पी.ड. 05 रवि कुमार अरायजनवीस के रूप में परीक्षित हुआ है, जो वादग्रस्त भूमि का सौदा मोहनलाल, बलवंत व रामप्रताप द्वारा 2,40,000/–रूपये में वादी के साथ तय करके समस्त विक्रय राशि रोबरू गवाहान वादी से प्राप्त करना, इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 स्वयं के निर्देशन में टाईप करवाने, इकरारनामा क्रेता एवं विक्रेतागण, गवाहान राम गोपाल व करनीराम को पढकर सुनाने, सही मानकर विक्रेतागण व गवाहान द्वारा अपने अपने हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी करना तथा स्वयं के मय मोहर हस्ताक्षर किये जाने की साक्ष्य देता है।

23. गवाह पी.ड. 06 बलवंत अपनी मुख्य परीक्षा में चक 1ए (ए) तहसील अनूपगढ के मु0नं0 251/467 की 25 बीघा नहरी भूमि अपने एवं अपने भाई मोहनलाल, रामप्रताप के नाम से होना, उक्त मुरब्बा के किला नं0 2 ता 5 की 4 बीघा भूमि के विक्रय का सौदा मोहनलाल, रामप्रताप व स्वयं द्वारा वादी के साथ कुल 2,40,000/– रूपये में तय कर समस्त सौदा राशि रूबरू गवाहान वादी से प्राप्त कर इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर कब्जा भूमि वादी को सुपुर्द करने, तत्पश्चात स्वयं द्वारा दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्से

की भूमि का नया इकरारनामा दिनांक 24.08.2012 को मंगतूराम के पक्ष में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वादी को सुपुर्द करने की साक्ष्य देता है तथा इकरारनामा पर अपनी अंगूठा निशानी होना स्वीकार करते हुए इकरारनामा प्रदर्श 02 को प्रदर्शित करवाता है।

24. प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 की ओर से परीक्षित साक्षी डी.ड. 01 लालचंद (प्रतिवादी सं. 04) व डी.ड.02 रामश्री (प्रतिवादी सं02) अपने जवाब दावा के अभिवचनों की पुष्टि करते हुए अपने पिता /पति स्व. मोहनलाल द्वारा इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 वादी के पक्ष में निष्पादित किये जाने से इन्कार करते हैं तथा इकरारनामा के फ़र्जी व कूटरचित होने का कथन करते हैं।

25. प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित साक्षी डी.ड. 03 रामप्रताप (प्रतिवादी सं0 1) अपने एवं अपने भाईयों के नाम की चक 1ए (ए) के मु0नं0 251/467 की भूमि में से किला नं0 2 ता 5 की 4 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 को 2,40,000/– रूपये में मंगतराम को विक्रय कर समस्त 2,40,000/–रूपये रोबरू गवाहान प्राप्त कर इकरारनामा मंगतराम के पक्ष में मोहनलाल, बलवंत व स्वयं के द्वारा निष्पादित करने, कब्जा भूमि मंगतराम को इकरारनामा के दिन ही सुपुर्द करने एवं आज रोज तक मंगतराम के कब्जा में होने की साक्ष्य देता है।

26. अभिलेख पर उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों, शपथ पत्र, प्रतिपरीक्षा साक्ष्य के अन्तर्गत किये गये कथनों एवं उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत हुए प्रलेखों का समग्र मूल्यांकन किया जावे तो यह स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर यह स्वीकृत स्थिति है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या–01 रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या–02 से 06 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत सिंह धारित करता है। वादी ने उक्त वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत सिंह से जरिए इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 क्रय किया जाना कथन किया है जबकि प्रतिवादी संख्या 02 ता.

06 ने उक्त इकरारनामा को कूटरचित होने का कथन किया है। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का मुख्यतः आधार इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 है। अतः न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि क्या प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत के द्वारा वादी के पक्ष में उक्त इकरारनामा निष्पादित किया गया था? उक्त इकरारनामा के संदर्भ में वादी पी.डब्ल्यू.01 मंगतराम ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत ने वादग्रस्त 04 बीघा भूमि का सौदा 2,40,000/– रूपये तय कर उससे रूबरू साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल समस्त राशि नक़द प्राप्त कर उसी रोज दिनांक 03.05.2003 को इकरारनामा निष्पादित किया एवं नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर उसे सुपुर्द कर दिया तथा उसी रोज वादग्रस्त भूमि का कब्जा भी उसे सम्भला दिया। इस प्रकार वादी ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 03.05.2003 को वादग्रस्त भूमि की प्रतिफल राशि रूबरू साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल विक्रेतागण रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत को दिये जाने और उक्त प्रतिवादी संख्या–01 रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत के द्वारा इकरारनामा निष्पादित कर उसे सुपुर्द किये जाने का कथन मुख्य परीक्षा में किया है, परन्तु दौराने प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर स्थिर नहीं रहा है और मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के विपरीत यह स्वीकार करता है कि इकरारनामा प्रदर्श–01 की लिखापढ़ी तहसील में हुई थी, परन्तु वह उस रोज घर पर ही था। इकरारनामा प्रदर्श–01 के साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल ने इकरारनामा उसे घर पर लाकर दिया था और कहा था कि तुम्हारे नाम 04 बीघा जमीन करवा दी है। इकरारनामा के रोज 2,40,000/–रूपये उससे करणीराम व रामगोपाल लेकर गये थे और उन्होंने ही 2,40,000/–रूपये मोहनलाल को दिये थे। इस प्रकार जहाँ वादी मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा प्रतिफल राशि विक्रेतागण रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत को तहसील में अदा किये जाने का कथन करता है तो दौराने प्रतिपरीक्षा वादग्रस्त भूमि की प्रतिफल राशि की अदायगी

अपने द्वारा इकरारनामा के साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल को घर पर किये जाने एवं करणीराम व रामगोपाल द्वारा उक्त राशि की अदायगी विक्रेतागण रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत को किये जाने का विरोधाभासी कथन करता है। इसी प्रकार वादी मंगतराम अपनी मुख्य परीक्षा में विक्रेतागण द्वारा इकरारनामा निष्पादित कर उसे सुपुर्द किये जाने का कथन करता है जबकि दौराने प्रतिपरीक्षा इकरारनामा के साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल द्वारा उसे घर पर लाकर इकरारनामा दिये जाने का विरोधाभासी कथन करता है।

27. इकरारनामा के साक्षीगण पी.ड.02 करणीराम व पी.ड.03 रामगोपाल ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत ने अपनी वादग्रस्त भूमि के विक्रय का सौदा वादी मंगतराम से 2,40,000/– रूपये में तय करके मंगतराम से विक्रेतागण द्वारा उनके समक्ष समस्त विक्रय राशि नक़द प्राप्त कर इकरारनामा निष्पादित कर व नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर मंगतराम को सम्भला दिया था। उक्त साक्षीगण दौराने प्रतिपरीक्षा यह भी कथन करते हैं कि इकरारनामा के निष्पादन के समय वादी मंगतराम वहीं पर उपस्थित था जबकि स्वयं वादी ही इकरारनामा के निष्पादन के समय अपने घर पर होने, प्रतिफल की राशि विक्रेतागण रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत को अदा नहीं करने और इकरारनामा साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल द्वारा उसे सुपुर्द किये जाने का विरोधाभासी कथन करता है। साक्षी पी.ड.03 रामगोपाल प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन करता है कि इकरारनामा प्रदर्श–01 पर उन सभी वादी मंगतराम, साक्षीगण करणीराम व रामगोपाल एवं विक्रेतागण प्रतिवादी संख्या–01 रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या– 02 ता. 06 मोहनलाल व बलवंत ने अपने हस्ताक्षर/अंगूठे किये थे, परन्तु इस सम्बन्ध में इकरारनामा प्रदर्श–01 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उस पर क्रेता मंगतराम के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित नहीं है।

28. यहाँ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इकरारनामा प्रदर्श–01 का निष्पादन बलवंत द्वारा भी किये जाने का कथन किया गया है और उक्त बलवंत को बतौर प्रतिवादी प्रकरण में

संयोजित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में यह कथन किया गया है कि बलवंत इकरारनामा की पालना में उसके पक्ष में बैयनामा पंजीबद्ध करवाने हेतु तैयार है। उक्त बलवंत को वादी की ओर से पी.डब्ल्यू.06 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। उक्त साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में वादी द्वारा किये गये कथनों के समान ही इकरारनामा के रोज उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि का सौदा 2,40,000/–रूपये में तय कर समस्त राशि साक्षीगण के समक्ष प्राप्त कर इकरारनामा निष्पादित कर वादी मंगतराम को सुपुर्द किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार यह साक्षी भी अपनी मुख्य परीक्षा में इकरारनामा के रोज दिनांक 03.05.2003 को वादी मंगतराम से वादग्रस्त भूमि की प्रतिफल राशि 2,40,000/–रूपये प्राप्त करने का कथन करता है, जबकि दौराने प्रतिपरीक्षा उक्त साक्षी मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों के विपरीत यह कथन करता है कि प्रदर्श–01 इकरारनामा की प्रतिफल राशि उन्होंने इकरारनामा निष्पादित किये जाने से करीब 01–02 माह पूर्व ही प्राप्त कर ली थी। उक्त साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि वादी मंगतराम उसके पास इकरारनामा प्रदर्श–01 लिखवाकर लाया था कि आपने जमीन के पैसे लिये थे उसकी लिखापढ़ी है आप इस पर अंगूठा लगा दो उसने अंगूठा लगा दिया। इकरारनामा प्रदर्श–01 की लिखापढ़ी तहसील से इन्द्राज वकील से करवायी थी। वह केवल लिखापढ़ी वाले वकील के पास गया था। इसके अलावा किसी दूसरे वकील या नोटेरी के पास नहीं गया।

29. यहाँ यह भी महत्त्वपूर्ण है कि वादी के द्वारा इकरारनामा के निष्पादनकर्ता प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रताप उर्फ प्रताप के विरूद्ध भी वाद प्रस्तुत किया गया था, परन्तु दौराने विचारण वादी द्वारा रामप्रताप उर्फ प्रताप से राजीनामा हो जाना जाहिर किया गया व वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रताप उर्फ प्रताप की हद तक अपना वाद परित्याग कर दिया गया। उक्त रामप्रताप उर्फ प्रताप डी.ड.03 के रूप में परीक्षित हुआ है, उक्त साक्षी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में प्रस्तुत शपथ पत्र में दिनांक 03.05.2003 को 2,40,000/–रूपये मंगतराम से प्राप्त कर इकरारनामा अपने, मोहनलाल व बलवंत द्वारा निष्पादित किये जाने का कथन किया है। इस साक्षी द्वारा

यह भी स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा वादी मंगतराम के पक्ष में एक अन्य इकरारनामा दिनांक 08.11.2012 को निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी भी इकरारनामा प्रदर्श–01 के रोज दिनांक 03.05.2003 को 2,40,000/–रूपये वादी मंगतराम से प्राप्त किये जाने का कथन करता है, परन्तु दौराने प्रतिपरीक्षा यह साक्षी स्वीकार करता है कि जब उसने अपने भाई मंगतराम के पक्ष में अन्य इकरारनामा दिनांक 08.11.2012 को निष्पादित किया तो उसने 2 , 40,000/–रूपये लिये थे। दिनांक 08.11.2012 से पहले उसने मंगतराम से कोई पैसे नहीं लिये और ना ही उसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया। इस प्रकार उक्त साक्षी भी अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 03.05.2003 को वादी मंगतराम से 2,40,000/–रूपये प्राप्त कर इकरारनामा निष्पादित किया जाना कथन करता है तो वहीं दौराने प्रतिपरीक्षा दिनांक 08.11.2012 को वादी मंगतराम से 2,40,000/–रूपये प्राप्त कर उसी दिनांक को ही इकरारनामा निष्पादित किये जाने का कथन करता है और उससे पूर्व वादी मंगतराम से राशि प्राप्त किये जाने एवं इकरारनामा निष्पादित किये जाने से स्पष्ट इन्कार करता है।

30. इकरारनामा प्रदर्श–01 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त इकरारनामा 50–50/–रूपये के दो स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है। उक्त स्टाम्प किसके द्वारा व किस प्रयोजन से क्रय किया गया इस सम्बन्ध में भी वादी पक्ष की ओर से विरोधाभासी साक्ष्य प्रस्तुत हुई है। इकरारनामा का साक्षी पी.ड.02 करणीराम अपनी साक्ष्य में इकरारनामा का स्टाम्प स्टाम्प विक्रेता से मोहनलाल व बलवंत द्वारा खरीद कर लाये जाने का कथन करता है तो पी.डब्ल्यू.03 रामगोपाल उक्त स्टाम्प केवल मोहनलाल के द्वारा लाये जाने का कथन करता है। वादी पक्ष की ओर से उक्त स्टाम्प विक्रेता तुलसीराम को पी.डब्ल्यू.04 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। स्टाम्प विक्रेता पी.ड.04 तुलसीराम अपनी साक्ष्य में यह कथन करता है कि उक्त दोनों स्टाम्प उसके द्वारा रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत के नाम विक्रय किये गये थे व स्टाम्प की पुश्त पर क्रेता के अंगूठा निशान अंकित करवाये गये थे, जबकि

उक्त स्टाम्प के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त स्टाम्प पर क्रेतागण रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत की अंगूठा निशानी/हस्ताक्षर अंकित नहीं है, बल्कि केवल एक ही व्यक्ति की अंगूठा निशानी अंकित है। स्वयं स्टाम्प विक्रेता द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार किया गया है कि स्टाम्प क्रय करने के लिए उसके पास एक ही आदमी आया था। उसके द्वारा क्रेता का पहचान पत्र नहीं देखा गया और ना ही वह स्टाम्प क्रेता को व्यक्तिगत रूप से जानता था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त स्टाम्प पर केवल एक ही अंगूठा लगा हुआ है और उक्त अंगूठा निशानी पर L.T.I., R.T.I. अथवा जिस व्यक्ति का अंगूठा है, उस व्यक्ति का नाम अंकित नहीं है। उक्त साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि विक्रेतागण का नाम बताकर कोई अन्य व्यक्ति भी स्टाम्प खरीद कर ले जा सकता है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि स्टाम्प पर स्टाम्प क्रय का प्रयोजन अंकित नहीं है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध उक्त साक्ष्य से यह भी साबित नहीं होता है कि इकरारनामा प्रदर्श –01 के स्टाम्प विक्रेतागण रामप्रताप उर्फ प्रताप, मोहनलाल व बलवंत के द्वारा अपनी वादग्रस्त भूमि के विक्रय के प्रयोजन से क्रय किये गये हो। वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण ने यह भी कथन किया है कि उक्त इकरारनामा रवि कुमार से लिखवाया गया था। उक्त रवि कुमार को वादी पक्ष की ओर से पी.ड. 05 के रूप में परीक्षित करवाया गया है जो अपनी मुख्य परीक्षा में इकरारनामा प्रदर्श–01 स्वयं के निर्देशन में टाईप करवाये जाने का कथन करता है जबकि इसके विपरीत दौराने प्रतिपरीक्षा यह साक्षी कथन करता है कि प्रदर्श–01 उसके निर्देशन में टाईप नहीं किया गया था, बल्कि उसके स्वयं के द्वारा हाथ से टाईप किया गया था।

31. इस प्रकार वादी की ओर से इकरारनामा के निष्पादन के सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं तथा उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषणोपरांत वादी इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 प्रदर्श–01 के निष्पादन को साबित करने के लिए सुदृढ़, विश्वसनीय व अखण्डनीय साक्ष्य पेश करने में असफल रहा है, जिससे यह प्रकट हो कि दिनांक 03.05.2003 को प्रतिवादी संख्या 01

रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत ने वादग्रस्त भूमि के विक्रय का सौदा वादी मंगतराम के पक्ष में कर इकरारनामा प्रदर्श–01 निष्पादित किया था।

32. जहाँ तक वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत S.B. Civil First Appeal No.72/1987, Mst. Radha Bai Vs. Nachhatar Singh एवं 1995(2) CCC 403 (S.C.) Khagendra Lall Dutta & Anr. Vs. Jacob Sole Jacob का प्रश्न है, उपर्युक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है तथा पूर्ण सम्मान व्यक्त करता है, परन्तु हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियां भिन्न होने के कारण उक्त सम्माननीय न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं, क्योंकि हस्तगत प्रकरण में वादी इकरारनामा प्रदर्श–01 के निष्पादन को साबित करने में असफल रहा है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों से वादी पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

अतः विवाद्यक संख्या 01 वादी के विरूद्ध तय किया जाता है।

विवाद्यक संख्याः–02

02. आया बलवंत ने इकरारनामा दिनांक 03.05.2003 के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्सा की भूमि का दिनांक 24.08.2012 को एक नया इकरारनामा निष्पादित कर वादी के सुपुर्द किया ? **––वादी**

33. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पर है। उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का यह तर्क रहा है कि वादी ने स्वयं अपनी साक्ष्य एवं उक्त इकरारनामा के निष्पादनकर्ता बलवंत की साक्ष्य से यह साबित किया है कि बलवंत ने अपने हिस्से की भूमि का दिनांक 24.08.2012 को नया इकरारनामा निष्पादित कर वादी के सुपुर्द किया था। अंत में विवाद्यक–02 वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया।

34. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का दौराने बहस

यह तर्क रहा है कि इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 फर्जी व कूटरचित तैयार किया गया है। उक्त इकरारनामा के प्रति सहमति जताने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बलवंत ने वादी से मिलीभक्त कर इकरारनामा दिनांकित 24.08.2012 निष्पादित किया है, जिसका वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंत में विवाद्यक संख्या–02 वादी के विरूद्व निर्णित किये जाने का निवेदन किया गया।

35. उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा दिये गए उक्त तर्कों के सम्बन्ध में अभिलेख पर विद्यमान साक्ष्य का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादी पी.ड.01 मंगतराम मुख्य परीक्षा में यह कथन करता है कि वादी ने बलवंतराम से मिलकर इकरारनामा की पालना में वादी के पक्ष में बैयनामा करवाने का कहा तो बलवंत राम ने कहा कि वह इकरारनामा के अनुसार अपने हिस्से की विक्रय की गई भूमि का इकरारनामा की पालना में बैयनामा करवाने हेतु आज भी तैयार है। इस सम्बन्ध में बलवंतराम ने दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्से की भूमि का एक नया इकरारनामा दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा की पालना में वादी के पक्ष में लिखवाकर एवं इकरारनामा को सुन समझकर व सही होना मानकर रूबरू गवाहान वादी के पक्ष में निष्पादित कर इकरारनामा को नोटेरी पब्लिक के समक्ष पेश कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर वादी को सम्भलवाया। इसी प्रकार उक्त इकरारनामा के निष्पादनकर्ता पी .डब्ल्यू.06 बलवंत ने भी अपनी साक्ष्य में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह इकरारनामा के अनुसार अपने हिस्से की विक्रय की गई भूमि का इकरारनामा की पालना में मंगतराम के पक्ष में बैयनामा करवाने हेतु आज भी तैयार है। इस सम्बन्ध में वह दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा के प्रति अपनी सहमति जताते हुए अपने हिस्से की भूमि का एक नया इकरारनामा दिनांक 24.08.2012 को पूर्व के इकरारनामा की पालना में मंगतराम के पक्ष में लिखवाकर एवं इकरारनामा को सुन समझकर व सही होना मानकर रूबरू गवाहान उसके पक्ष में निष्पादित कर इकरारनामा को नोटेरी पब्लिक के समक्ष पेश कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर मंगतराम को दे दिया

था। उक्त साक्षी द्वारा इकरारनामा दिनांकित 24.08.2012 प्रदर्श–02 को प्रदर्शित भी करवाया गया है। उक्त साक्षीगण से प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 अधिवक्ता द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य उभर कर सामने नहीं आया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि बलवंत के द्वारा उक्त इकरारनामा वादी के पक्ष में निष्पादित ना किया गया हो। इसके साथ ही प्रतिवादी पक्ष के द्वारा उक्त साक्ष्य का खण्डन करने के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषणोपरांत उक्त विवाद्यक संख्या 02 वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्याः</u>– 03

03. आया वादी विक्रय इकरार की पालना हेतु सदैव तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है?
––वादी

36. इस विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पक्ष पर है। इस विवाद्यक के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष का यह तर्क रहा है कि वादी इकरारनामा की पालना के लिए हमेशा तैयार, तत्पर व इच्छुक रहा है एवं भविष्य में भी है। अंत में उक्त विवाद्यक वादी के पक्ष में तय किये जाने का निवेदन किया गया।

37. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 का यह तर्क रहा है कि वादी के द्वारा इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 फर्जी एवं कूटरचित तैयार किया गया है, ऐसी स्थिति में उसकी पालना में लिए तैयार, तत्पर एवं इच्छुक रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अंत में उक्त विवाद्यक प्रतिवादी के पक्ष में तय किये जाने का निवेदन किया गया।

38. उभय पक्षों के तर्कों के क्रम में पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया। विवाद्यक संख्या–01 पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण के क्रम में पारित निष्कर्ष के अन्तर्गत विवाद्यक संख्या–01 वादी के विरूद्ध निर्णित हुआ है एवं वादी इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 के निष्पादन को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः इकरारनामा का निष्पादन साबित ना होने की स्थिति में

इकरारनामा की पालना के लिए वादी के तैयार, तत्पर व इच्छुक रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अतः विवाद्यक संख्या 03 वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्याः– 05

05. आया वादी का वाद मियाद बाहर होने से काबिल खारिजी है?

––प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06

39. इस विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर है। उक्त विवाद्यक के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष का तर्क रहा है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अवधि बाधित है, क्योंकि स्वयं वादी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2007 में प्रतिवादीगण ने बैयनामा निष्पादित किये जाने से इन्कार कर दिया था, अतः वादी के द्वारा उक्त इन्कारी से 03 वर्ष के भीतर वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, परन्तु उक्त 03 वर्ष की अवधि के भीतर वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे वादी का वाद पत्र अवधि बाधित है। अंत में उक्त विवाद्यक का निर्धारण प्रतिवादीगण के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

40. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी का तर्क रहा है कि इकरारनामा में बैयनामा निष्पादित करने हेतु कोई तिथि अंकित नहीं है। प्रतिवादी पक्ष के द्वारा निरन्तर बैयनामा निष्पादित किये जाने का आश्वासन वादी को दिया जाता रहा था। वादी ने अपने अभिवचनों में स्पष्ट कथन किया है कि वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने से 07 रोज/दिन पूर्व प्रतिवादी पक्ष ने बैयनामा करवाये जाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, तब वादी को वाद कारण हासिल हुआ और समयावधि के भीतर वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। अंत में उक्त विवाद्यक का निर्धारण वादी के पक्ष में किये जाने का निवेदन किया गया।

41. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का

अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में यदि विधिक स्थिति पर गौर किया जावे तो **परिसीमा अधिनियम, 1954** के **अनुच्छेद–54** में संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु परिसीमा 03 वर्ष निर्धारित की गई है एवं उक्त 03 वर्ष की अवधि पक्षकारान् द्वारा पूर्व में निश्चित दिनांक से एवं यदि ऐसी कोई दिनांक निर्धारित नहीं की गई है तो विक्रेता की इन्कारी की दिनांक से आरम्भ होगी। उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के क्रम में हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में परिसीमा की अवधि के बिन्दु पर गौर किया जावे तो विवाद्यक संख्या 01 पर विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के क्रम में पारित निष्कर्ष के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि वादी इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 प्रदर्श–01 के निष्पादन को साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद को परिसीमा अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

42. यदि उक्त विवाद्यक के निर्धारण के सम्बन्ध में तर्क के लिए यह स्वीकार भी कर लिया जावे कि विक्रेतागण प्रतिवादी संख्या 01 रामप्रताप उर्फ प्रताप, प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 के पति/पिता मोहनलाल व बलवंत के द्वारा वादी मंगतराम के पक्ष में इकरारनामा दिनांकित 03.05.2023 प्रदर्श–01 निष्पादित किया गया था तो इकरारनामा प्रदर्श–01 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त इकरारनामा में बैयनामा पंजीयन हेतु कोई निश्चित तिथि अंकित नहीं की गई थी, जिससे परिसीमा अवधि विक्रेता की इन्कारी की दिनांक से आरम्भ होगी। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी पी.ड.01 मंगतराम ने अपनी साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसके द्वारा दावा पेश करने से 07 रोज पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 ता. 06 से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा गया कि खातेदारी सनद्, आवश्यक काग़जात व बकाया प्रतिफल राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में बैयनामा करवा देंवे तो प्रतिवादी संख्या 01 ता. 06 प्रतिफल राशि के अलावा 5,00,000/– रूपये की मांग की, जिस पर वादी द्वारा अपनी असमर्थतता जाहिर करने पर प्रतिवादी संख्या 01 ता. 06 ने इकरारनामा की पालना में बैयनामा करवाने से स्पष्ट इन्कार हो गये। इस प्रकार वादी ने अपनी साक्ष्य में वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की

दिनांक 29.08.2012 से 07 दिवस पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 ता. 06 द्वारा बैयनामा करवाये जाने से इन्कार किये जाने का कथन किया है, परन्तु प्रकरण में यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वर्ष 2007 में विक्रेता मोहनलाल का देहांत हो गया था। दौराने प्रतिपरीक्षा वादी यह स्वीकार भी करता है कि मोहनलाल का निधन करीब 16 वर्ष पूर्व हो गया था। इसके साथ ही वादी ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2007 में प्रतिवादीगण संख्या 02 ता. 06 अपने पति/पिता मोहनलाल की मौत पर इकरारनामा प्रदर्श–01 की पालना से मुकर गये थे और उसे कहा कि हम इकरारनामा प्रदर्श–01 की पालना में बैयनामा नहीं करवाएंगे। वादी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.ड.06 बलवंत ने भी यह स्वीकार किया है कि मोहनलाल की मृत्यु के बाद वर्ष 2007 में मोहनलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 02 ता. 06 इकरारनामा प्रदर्श–01 की पालना से मुकर गये थे। इस प्रकार स्वयं वादी व वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मोहनलाल के वारिसान द्वारा वर्ष 2007 में ही इकरारनामा की पालना में बैयनामा करवाने से इन्कारी कर दी गई थी। अतः वर्ष 2007 से ही परिसीमा काल आरम्भ हो गया था और वादी के द्वारा इन्कारी की दिनांक से करीब 05 वर्ष के पश्चात् हस्तगत वाद पत्र दिनांक 29.08.2012 को प्रस्तुत किया गया है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। अतः उपर्युक्त समस्त विवेचनोपरांत विवाद्यक संख्या 05 वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्याः</u>– 04 व 06

04. आया प्रतिवादीगण संख्या 01 ता. 06 वादग्रस्त कृषि भूमि किसी अन्य को अंतरित, हस्तान्तरित नहीं करें एवं वादी के उपयोग, उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, ऐसी वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? **––वादी**

06. सहायता ?

43. उक्त दोनों विवाद्यक संख्या 04 व 06 तथ्यों से सम्बन्धित ना होकर, अनुतोष से सम्बन्धित है। अतः विवाद्यक संख्या 04 व 06 का निस्तारण एक साथ किया जा

रहा है। चूंकि विवाद्यक संख्या–01 के निष्कर्ष के अनुसार इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 प्रदर्श–01 के निष्पादन को साबित करने में वादी पक्ष असफल रहा है तथा विवाद्यक संख्या–05 के निष्कर्ष के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मियाद बाहर है। अतः ऐसी स्थिति में वादी पक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध इकरारनामा दिनांकित 03.05.2003 की विनिर्दिष्ट अनुपालना की डिक्री एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

- :: आदेश :: -

44. अतः वाद वादी मंगतराम विरूद्ध प्रतिवादीगण रामप्रताप आदि बाबत् संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना तथा शाश्वत व्यादेश **अस्वीकार** कर **खारिज़** किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा नियमानुसार मुर्तिब हो।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
{U.I.D. No.RJ00720}
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

45. निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
{U.I.D. No.RJ00720}
अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.25 08:08:20 IST